



दिनांक 13.09.2023

प्रेस विज्ञप्ति 15 / 2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय—समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एकट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

➤ जनपद उन्नाव/थाना फतेहपुर चौरासी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना फतेहपुर चौरासी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1—रामू 2—लालता को सश्रम आजीवन कारावास व 30—30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद चित्रकूट/थाना पहाड़ी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3/25 आम्र्स एकट के अन्तर्गत अभियुक्त चुन्नू को आजीवन कारावास व 13 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद शाहजहाँपुर/थाना सदर बाजार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना सदर बाजार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एकट के अन्तर्गत अभियुक्त अनीस अन्सारी को 10 वर्ष के कारावास व 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद सम्मल/थाना कुढ़फतेहगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 37 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद सम्मल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्मल द्वारा थाना कुढ़फतेहगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/366/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एकट के अन्तर्गत अभियुक्त अफजाल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 37 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बाराबंकी/थाना कुर्सी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कुर्सी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि व 4 पॉक्सो एकट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रकाश को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद जालौन/थाना कालपी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कालपी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3 गैंगेस्टर एकट के अन्तर्गत अभियुक्त विजय को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

जनपद एटा/थाना कोतवाली देहात

- पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
 - 1 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)
 - 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 12.09.2023 को थाना कोतवाली देहात व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिराव मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त विष्णु घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो

गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से एक मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत लूट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद कासगंज, एटा के विभिन्न जनपदों पर चोरी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, गैंगस्टर एकट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विष्णु निवासी बंथल कुतुबपुर थाना पिलुआ जनपद एटा।

बरामदगी

1—1 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिशनरेट आगरा/थाना एत्माददौला

• 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.09.2023 को थाना एत्माददौला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मछली पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त भूपेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना एत्माददौला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना एत्माददौला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—भूपेन्द्र कुमार निवासी गायत्री बिहार कॉलोनी थाना एत्माददौला कमिशनरेट आगरा।

~ 5 ~
कमिश्नरेट गाजियाबाद / थाना कविनगर

● 25—25 हजार रुपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 12.09.2023 को थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—विनय 2—विजय उर्फ लल्ली को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कविनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कविनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विनय निवासी एम०पी० नगर जनपद सतना मध्यप्रदेश।

2—विजय उर्फ लल्ली निवासी भर्डी थाना नागोद जनपद सतना मध्यप्रदेश।

जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली देहात

● 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

● 06 हजार 500 रुपये नगद

● 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)

● 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 12.09.2023 को थाना कोतवाली देहात व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पहरोई नहर बाग के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त उदयराज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 06 हजार 500 रुपये नगद, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सदरपुर पर पंजीकृत चोरी के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एकट, आर्म्स एकट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सदरपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—उदयराज निवासी डयोढ़ीडीह थाना तम्बौर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—06 हजार 500 रुपये नगद।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित / खोखा कारतूस।

जनपद मथुरा / थाना कोसीकलाँ

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 12.09.2023 को थाना कोसीकलाँ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर होटल कोसी बार्डर से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सलमान उर्फ आदिल खाँ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एकट, आर्म्स एकट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोसीकलाँ पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोसीकलॉ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सलमान उर्फ आदिल खाँ निवासी विशम्भरा थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद हापुड़ / थाना सिम्भावली

- पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त
गिरफ्तार
 - 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)
 - 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 13.09.2023 को थाना सिम्भावली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बक्सर रेगुलेटर से बुड्ढा की तरफ चौराहा के पास से पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त नदीम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिम्भावली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद हापुड़, कमिशनरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नदीम निवासी ग्राम अतरौली थाना भोजपुर, गाजियाबाद।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात

- पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- लूटे गये 15 हजार रुपये नगद

- 02 कार

- 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 12 / 13.09.2023 की रात्रि थाना कोतवाली देहात व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दोस्तपुर फ्लाई ओबर के पास कार सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—अजय 2—रोहित घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3—जोगिन्दर सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 15 हजार रुपये नगद, 02 कार, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अजय के विरुद्ध जनपद अलीगढ़, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आबकारी एकट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त रोहित के विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिशनरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एकट, आम्स एकट, गुण्डा एकट, गैंगस्टर एकट आदि के 26 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—अजय निवासी बादशाहपुर पचगई थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 2—रोहित निवासी मोहल्ला विकास नगर थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 3—जोगिन्द्र निवासी ग्राम हामिदपुर थाना टप्पल जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

- 1—लूटे गये 15 हजार रुपये नगद।
- 2—02 कार।
- 3—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिशनरेट आगरा/थाना एत्माददौला

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की सोने—चॉदी के आभूषण
 - 73 हजार 200 रुपये नगद
- 02 मोबाइल फोन आदि बरामद

दिनांक: 12.09.2023 को थाना एत्माददौला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1—उपदेश उर्फ रॉकी 2—गोपाल उर्फ रोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की सोने—चॉदी के आभूषण, 73 हजार 200 रुपये नगद, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना एत्माददौला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना एत्माददौला पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त उपदेश उर्फ रॉकी के विरुद्ध कमिशनरेट आगरा के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, चोरी,

आम्स एकट, गुण्डा एकट, गैंगेस्टर एकट आदि के एक दर्जन अभियोग व अभियुक्त गोपाल उर्फ रोहित के विरुद्ध कमिशनरेट आगरा के थाना एत्माददौला पर चोरी, लूट के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना एत्माददौला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—उपदेश उर्फ रॉकी निवासी सुशील नगर थाना एत्माददौला , आगरा।

2—गोपाल उर्फ रोहित निवासी सुशील नगर थाना एत्माददौला , आगरा।

बरामदगी

1—चोरी की सोने—चॉदी के आभूषण।

2—73 हजार 200 रुपये नगद।

3—02 मोबाइल फोन आदि।

जनपद आजमगढ़ / थाना देवगाँव

- चोरी की घटना का अनावरण
- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 07 लाख 50 हजार रुपये कीमत के चोरी के कम्प्यूटर उपकरण व घरेलू सामान आदि
- 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 13.09.2023 को थाना देवगाँव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देवगाँव हाईवे मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1—राहुल 2—अमरजीत को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। अन्य दो अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख 50 हजार रुपये कीमत के चोरी के कम्प्यूटर उपकरण व घरेलू सामान आदि, 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.09.2023 को थाना देवगांव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना देवगांव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सामान आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना देवगांव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी रकैचा थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

2—अमरजीत निवासी रकैचा थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—लगभग 07 लाख 50 हजार रुपये कीमत के चोरी के कम्प्यूटर उपकरण व घरेलू सामान आदि।

2—01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

जनपद पीलीभीत/थाना माधोटांडा

- पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- 03 किलोग्राम अवैध अफीम

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

- 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद

दिनांक 12.09.2023 को थाना माधोटांडा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाइफरकेशन के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त बाबू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 03 किलोग्राम अवैध अफीम, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद पीलीभीत के विभिन्न थानों में चोरी, एनडीपीएस एकट, आम्स एकट, गुण्डा एकट आदि के 25 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना माधोटांडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बाबू निवासी मोमदीना शाह थाना कोतवाली जनपद पीलीभीत।

बरामदगी

1—03 किलोग्राम अवैध अफीम।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

जनपद सोनभद्र/थाना करमा

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 55 लाख रुपये कीमत के 656 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब
- घटना में प्रयुक्त एक ट्रक बरामद

दिनांक: 12.09.2023 को थाना करमा व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर भैरोपुर कुचमरवां मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1—रोहित 2—मनीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 55 लाख रुपये कीमत के 656 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना करमा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोहित निवासी न्यू मॉडल टाउन अमलोह रोड खन्ना थाना सिटी—2 खन्ना जनपद लुधियाना, पंजाब।

2—मनीष निवासी किश्यन कालोनी अमलोह रोड खन्ना थाना सिटी—2 खन्न जनपद लुधियाना, पंजाब।

बरामदगी

1—लगभग 55 लाख रुपये कीमत के 656 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—घटना में प्रयुक्त एक ट्रक।

जनपद मथुरा/थाना कोसीकलाँ

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• लगभग 15 लाख रुपये कीमत के 204 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब

• घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक आदि बरामद

दिनांक 12.09.2023 को थाना कोसीकलाँ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ईदगाह तिराहा एन0एच0—19 पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—पंकज कुमार 2—मिथुन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 15 लाख रुपये कीमत के 204 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोसीकलाँ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पंकज कुमार निवासी तलाकोट थाना छपर जनपद यमुनानगर हरियाणा।

2—मिथुन निवासी रेडिया का माजरा थाना छपर जनपद यमुनानगर हरियाणा।

बरामदगी

1—लगभग 15 लाख रुपये कीमत के 204 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक आदि।

• 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 06 लाख रूपये कीमत के 43 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा
 - 08 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन
 - घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 12.09.2023 को जनपद मथुरा क्राइम ब्रान्च पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पानीघाट तिराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1—इरफान 2—धर्मेन्द्र उर्फ धर्मा 3—अरमान 4—राकेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 लाख रूपये कीमत के 43 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा, 08 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में जनपद मथुरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—इरफान निवासी रेलवे लाइन जन्मभूमि के पास थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।
- 2—धर्मेन्द्र उर्फ धर्मा निवासी दुर्गापुरम कॉलोनी पानीघाट थाना वृन्दावन जनपद मथुरा।
- 3—अरमान निवासी मोगौरा नगर कॉलोनी थाना वृन्दावन जनपद मथुरा।
- 4—राकेश निवासी अनाज मंडी थाना वृन्दावन जनपद मथुरा।

बरामदगी

- 1—लगभग 06 लाख रूपये कीमत के 43 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा।
- 2—08 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन।
- 3—घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन आदि।